

पत्र संख्या 2027/16C
सेवामें,

दिनांक 21/01/2023

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय— जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से वनवालाधार (जरम्बाड) होते हुए बैँजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online proposal No. FP/UK/ROAD/155241/2022)।

सन्दर्भ— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/56/2023/एफसी/340 दिनांक 13.06.2023

महोदय,

उक्त वनभूमि पत्रावली में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार किया गया है—

क्र०सं०	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	प्रस्तावित मार्ग से लाभान्वित ग्राम पूर्व से ही एक मौजूदा मार्ग existing road से जुड़े हुए है।	बैँजी काण्डई ग्राम सभा का एक छोटा कोटखाल जगतोली मोटर मार्ग से संयोजित है, परन्तु उक्त मोटर मार्ग के किमी० 2 में अत्यधिक भूस्खलन होने से यह मोटर मार्ग ज्यादातर बाधित रहता है। उक्त भूस्खलन क्षेत्र की लम्बाई अधिक होने के कारण इसका उपचार किया जाना सम्भव नहीं है। अतः इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से यह कोटखाल जगतोली मोटर मार्ग से चोपडा उडामाण्डा मोटर मार्ग पर एक लिंक मार्ग का कार्य करेगा, जिससे मोटर मार्ग के किमी० 2 में बाधित होने के उपरान्त भी आपातकाल की परिस्थिति में उक्त मोटर मार्ग से संयोजित होने वाली ग्राम सभाओं को लाभ प्राप्त होगा साथ ही बैँजी काण्डई गांव की अनुसूचित बस्ती को भी संयोजकता प्रदान करेगा, जो कि अभी तक मोटर मार्ग से बंचित है। यह भी अवगत कराना है कि इस क्षेत्र की जनता मुख्य बाजार गौचर (चमोली) है, जिसकी दूरी लगभग 42 किमी० है। इस लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने के उपरान्त यह दूरी मात्र 12 किमी० ही रह जायेगी। जिस हेतु जनता द्वारा बार-बार इस मार्ग के निर्माण की मांग की जा रही है। अतः जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि की स्वीकृति नितान्त आवश्यक है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि—

1. सहायक अभियन्ता, प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।